

प्रेस नोट - दिनांक 11.11.2022

थाना नानौता पुलिस द्वारा गुमशुदा छात्र लवीकान्त को 20 घण्टे में किया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2022 को समय 11.00 बजे श्री खडग सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम उमाही राजपूत थाना नानौता जिला सहारनपुर ने हाजिर थाना आकर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 09.11.22 को समय करीब 08.00 बजे प्रातः मेरा पुत्र लवीकान्त उम्र करीब 18 वर्ष घर से श्रीराम कृष्ण इंटर कालेज नानौता आया था परन्तु वापस घर नहीं आया के सम्बन्ध में दाखिल की। उक्त सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करते हुए सूचना उक्त से उच्चाधिकारीगणों को अवगत कराते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा की सकुशल बरामदगी के अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना नानौता पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा लवीकान्त उपरोक्त की सकुशल बरामदगी हेतु थाना स्तर से उ0नि0 श्री सुनील कुमार अत्री व का0 645 प्रमोद कुमार व का0 32 सतीश नागर टीम गठित की गयी तथा सर्विलांश सैल सहारनपुर की मदद ली गयी। थाना नानौता पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.11.2022 समय करीब 07.00 बजे **गुमशुदा लवीकान्त को रेलवे स्टेशन नानौता से** सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ पर लवीकान्त उपरोक्त ने बताया कि वह नौकरी की तलाश में घर वालों की बिना बताये चण्डीगढ़ पंजाब में अपने दोस्त के पास चला गया था। परिजनो को बुलाकर लवीकान्त को उनके सुपुर्द किया गया। लवीकान्त उपरोक्त के गुमशुदा होने के कारण परिवार व गांव के लोग काफी दुखी थे। गुमशुदा लवीकान्त के सकुशल मिलने पर परिवार तथा गांव के लोगो द्वारा पुलिस का धन्यवाद अदा किया।

बरामदशुदा का नाम पता:-

1. लवीकान्त पुत्र खडग सिंह निवासी ग्राम उमाही राजपूत थाना नानौता जनपद सहारनपुर



बरामद करने वाली पुलिस टीम टीम:-

1. श्री चन्द्रसैन सैनी थानाध्यक्ष थाना नानोता, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नानोता, सहारनपुर
3. का0 645 प्रमोद कुमार थाना नानोता, सहारनपुर
4. का0 32 सतीश नागर थाना नानोता, सहारनपुर

प्रेस नोट दि० 11.11.22

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार सम्बन्धित मु०अ०स० 615/22
धारा 380/411 भादवि

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में वांछितों की गिरफ्तारी के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभाकर कैन्तुरा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 11.11.22 को समय 10.30 बजे अभियुक्त सन्दीप उर्फ मुनिया पुत्र अमर सिंह नि० मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के मसकन से गिरफ्तार किया, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से थाना सदर बाजार पर मु०अ०स० 615/22 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत है अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

1. गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1- सन्दीप उर्फ मुनिया पुत्र अमर सिंह नि० मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

2. अपराधी का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 364/22 धारा 25/4 आयुध अधिनियम 1959

2. मु०अ०स० 615/22 धारा 380/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि०श्री सुनील नागर

2. का० 1434 कासिम

3. का० 1571 मनोज



प्रेस नोट दि० 11.11.2022

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दहेज अधि० मे वाछित अपराधी को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधीयो के विरुद्ध चलाये गये अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री विनय कुमार द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर चुनहेटी अण्डर बाईपास के नीचे से हुसैन पुत्र इस्लाम निवासी बुकनपुर थाना मंगलौर जिला हरिद्वार को थाना रामपुर मनिहारन मे पजीकृत मु०अ०स० 200/22 धारा 498ए/354ख/504/506/328/452 भा०द०वि० व ३/४ दहेज अधि० व ३/४ मुस्लिम महिला अधि० मे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. हुसैन पुत्र इस्लाम निवासी बुकनपुर थाना मंगलौर जिला हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1. प्र०निरी० विनय कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. उप०निरी० राजबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. का० 722 अजयकुमार थाना रामपुर मनिहारनसहारनपुर
4. म०का० 2126 मनीषा कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

मु०अ०स० 200/22 धारा 498ए/354ख/504/506/328/452 भा०द०वि० व ३/४ दहेज अधि० व ३/४ मुस्लिम महिला अधि०